

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-401/2019

माँ छिन्नमस्तिका स्पंज आयरन (प्रा०) लि०, बिनझर (अरगड़ा रोड), डाकघर-मरार,
थाना-रामगढ़, झारखण्ड याचिकाकर्ता

बनाम

केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, रांची, केंद्रीय राजस्व भवन, 5, मेन रोड, डाकघर-रांची,
थाना-लोअर बाजार, जिला-रांची, झारखण्ड विपक्षी पार्टी

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री अमिताभ के० गुप्ता

माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्ता के लिए : श्री रोहित रंजन सिन्हा, अधिवक्ता

ओ०पी० के लिए : श्री रत्नेश कुमार, अधिवक्ता

04 / दिनांक: 11.12.2020

आई०ए० सं० 4552 / 2020

1. अंतवर्ती आवेदन इस सिविल विविध याचिका को वापस लेने के लिए दायर किया गया है।
2. विपक्षी पार्टी के विद्वान अधिवक्ता ने कोई गंभीर आपत्ति दर्ज नहीं की।
तदनुसार, इस सिविल विविध याचिका को वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

3. सुना। विद्वान वकील के सबमिशन को ध्यान में रखते हुए, सिविल विविध याचिका को वापस लेने के कारण खारिज कर दी जाती है, तदनुसार आई0ए0 संख्या-4552/2020 का भी निपटान किया जाता है।

(अमिताभ के0 गुप्ता, न्याया0)

(दीपक रोशन, न्याया0)